

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
 पत्रांक— 186 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक जुलाई, 12— 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: जनपद—सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 के ०वी० लीलो ओबरा विद्युत पारेशन लाइन में प्रभावित 7.5118 हेठो आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में।
 (प्रस्ताव संख्या—एफ.पी./यूपी/टान्स/44753/2020)

संदर्भ: 1—उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ का पत्र संख्या— 1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिन 24.05.2023
 2—आपका पत्र संख्या— 3745/11-सी लखनऊ दिनांक— 26.05.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उठाए गए सासन के संदर्भित पत्र दिनांक—24.05.2023 द्वारा उल्लिखित कमियों का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या— 61/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 05.07.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियों का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है :—

क्र० सं०	उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ का पत्र संख्या— 1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिन 24.05.2023	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	पूर्व लीज डीड की प्रभावित प्रति उपलब्ध करायी जाय।	इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्व लीज डीड की प्रभावित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में ० अडानी है अथवा उठाए पावर टान्समिशन कार्पोरेशन लिं० है ?	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी उठाए पावर टान्समिशन कार्पोरेशन लिं० है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत विन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
 मुख्य वन संरक्षक
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या— 186 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक—61/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 05.07.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07/

(रमेश चन्द्र झा)
 मुख्य वन संरक्षक
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में अडानी है अथवा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है ?	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः उ०प्र० शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख की चार प्रतियाँ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना/अभिलेख की तीन प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुरोध प्रियदर्शी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनमद्र।
पत्रांक ६। /ओबरा/ १५ भू०८० दिनांक—०५-०७-२०२३।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर थोत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

जनपद—सोनमद्र के ओबरा वन प्रभाग में ४०० के०वी० ओबरा ली०लो० विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित ७.५११८ह० अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या—एफपी/यूपी/ट्रांस/४४७५३/२०२०)

सन्दर्भ:-

उ०प्र० शासन का पत्र संख्या—१०८५/८१-२—२०२३-८००(०४)/२०२३, दिनांक—२४.०५.२०२३ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पृष्ठांकन संख्या—३७४५/११-सी दिनांक—२६.०५.२०२३, इस कार्यालय के पत्रांक—१९२६/ओबरा/१५ भू०८० दिनांक—०६.०३.२०२३, पत्रांक—२५१९/ओबरा/१५ भू०८० दिनांक—२९.०५.२०२३ तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन. लि०, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक—३२४/वि०प्र०ख०-गा०/ दिनांक—२७.०२.२०२३, पत्रांक—९१२/वि०प्र०ख०-गा०/ दिनांक—२४.०६.२०२३

महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि०, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक—३२४/वि०प्र०ख०-गा०/ दिनांक—२७.०२.२०२३ द्वारा (४०० के०वी० ओबरा ली०लो० विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक—१९२६/ओबरा/१५ भू०८० दिनांक—०६.०३.२०२३ द्वारा उचित माध्यम से उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया। उ०प्र० शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या—१०८५/८१-२—२०२३-८००(०४)/२०२३ दिनांक—२४.०५.२०२३ द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध करानें का निर्देश दिया गया, जिसके कम में उ०प्र० शासन द्वारा लागयी गयी आपत्तियों का निराकरण करनें हेतु इस कार्यालय के पत्रांक—२५१९/ओबरा/१५ भू०८० दिनांक—२९.०५.२०२३ द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया।

जिसके कम में प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि०, गाजीपुर) ने अपने कार्यालय के पत्रांक—९१२/वि०प्र०ख०-गा० दिनांक—२४.०६.२०२३ द्वारा निम्नलिखित आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है:-

पट्टा विलेख

यह पट्टा मन् 1939 के अक्टूबर माह के 1 वें दिन तदनुसार शक संवत — को मास के दिन को श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको आगे बलकर 'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मेसर्स 00903000100 (वर्तमान में 0090 पावर ट्रान्समिशन कारखोरेशन लिं.) पंजीकृत कार्यालय 00903000100 का शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ 0090 226001 है। (जिसे आगे चल कर पट्टेदार कहा गया है) द्वितीय पक्ष के गवाय ग लिखा गया।

चूंकि भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश सख्त्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मञ्चालय के पत्र सख्त्या 301/04/1692/98/FC दिनांक 08.03.1999 में निहित शक्ति के अनुमति आदरा वन प्रभाग द्वितीय सोनभद्र में पट्टेदाता को 400 के 010 लीलो आदरा विद्युत पारेशण लाइन के निम्नों हेतु 19968 60 उक्त वन भूमि हस्तान्तरित करने एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दी है।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र सख्त्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 20 वर्ग के लिए दिनांक को पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था (जिसकी एवं तदपश्चात गूल पट्टा विलेख कहा गया है)

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमें उल्लिखित अनुमति 19968 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शारणादेश सख्त्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अधिकारी अधिकारी निवासी गृह विधि प्रसविदाओं तथा अनुमति के अधीन पट्टेदार को 400 के 010 लीलो आदरा विद्युत पारेशण लाइन के निम्नों हेतु (जिसे एतद पश्चात उक्त पट्टेदार नहीं गवाय है) 20 वर्ग की अनुमति के लिए पट्टे पट्टेदार को गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए अनुमति हुई है।

और चूंकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जाने हेतु शारणादेश सख्त्या जीआई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 जारी किया है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रपृष्ठि के सम्बन्ध में दानाकार आफ प्राप्ती एक 1382 वर्षों का राज्याणि अधिनियम समय पर यहा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख शक्ति के लिए 00 1855622 40 (रुपया अड्डारह लाख पद्धति हजार वेत सी लाईस एवं अलिस प्रेरा) संब्र के स्थान पर 19968 60 गैर वन भूमि जनपद सोनभद्र में तथा उक्त वेत वन भूमि पर दातिपुरक बनाकर्ता हेतु 60 855968.25 (60 आठ लाख पद्धति हजार नो रुपया अड्डारह एवं पत्तीस पेस मात्र वेत 60 751375 दिनांक 23.11.1998 द्वारा प्रभागीय उनाधिकारी के मुख्यमंत्री विजय प्रभाग मिजोपुर जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वाधिक तीज रन्त की प्राप्ति के सम्बन्ध और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदाओं को व्यापार में रखकर पट्टादाता एतदद्वारा 19968 60 वन भूमि उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इसमें सम्बद्ध अनुमति ग दिया हुआ है तथा ना स्पष्टीकरण के लिए इस पट्टा विलेख से सलग्न गान्धिनगर में हवा इग से दशा दिया गया है (जिसे आगे जननुमि कहा जायेगा))

प्रभागीय उनाधिकारी
जनपद वन प्रभाग
जिमेश चोनभद्र

प्राप्तिपूर्ण स्वाक्षरित
25.6.2013
प्रभागीय प्रभाग
प्रियुत विवाह संघ
५० रुपया दूर्घात
गान्धिनगर

Electricty Engineers
Electricity Transmission Division-1
B.P. Power Transmision Corporation Ltd.

संग. 2020 के जुलाई माह के 24 वे दिन से 20 वर्ष की वानिकी के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तान्तरित करते हैं। इस आधिकार्य के उपलब्ध में 1999 से 2019 तक अवधि के लिये पट्टेदार समर्त कटीलियों को छोड़कर रूपया 185552.24(रु०-एक लाख पचासी हजार पाँच सौ बावन एवं दीविस पैसे) नात्र का वार्षिक किताबा वानिकी प्रमाण ओवरा को मुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वायिका के रूप में चेक संख्या 778319 दिनांक 30.11.1999 और चेक संख्या 763378 दिनांक 07.08.2000 को प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रमाण ओवरा के कायातन में जमा कर दिया गया है।

I - अतः पट्टेदार पट्टदाता से निम्न प्रसंविदा करता है:-

- प्रसंगत हस्तान्तरित वनमूमि की वायिका (वायि) ने कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- हस्तान्तरित की जाने वाली वनमूमि वे सामुद्र ग्रे वनमूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा शांतिपूरक वृक्षरोपण किया जायगा।
- वन विभाग के पक्ष में अग्निदरामाद को गयी ग्रहनमूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत सरकारी/आरक्षीय वन घोषित किया जायगा।
- वनमूमि पर पारेषण लाईन की अधिकतम वार्षिक 52 मीटर होती।
- (I) पारेषण लाईन में वाले व लिये लाईन द्वारा वाले वाले / फेज के पत्थक कण्डकर के नीचे 3 मीटर लोडाई पर वन वृक्ष का वाक करने के अनुमति होनी ऐसी पटिटों पर रिष्टि पेड़ों को काटा जा सकता है जिनके बर्दाशताएँ दो पूनर्वनीकरण की उपायी हैं। अतः वन विभाग वनमूमि पर पारेषण लाईन के वाले व लिये लाईन को वनमूमि का वृक्षरोपण किया जायेगा। पारेषण लाईन व रखरखाव द्वारा वाले व लिये लाईन की वाले वाले व लिये लाईन किया जायेगा। पारेषण लाईन के वाले व लिये लाईन को वनमूमि का वृक्षरोपण किया जायेगा।
- (II) पारेषण लाईन की वाले वाले में अनुरक्षण के समय विद्युत वापो स वक्ता के लिए पेड़ों और कण्डकर के नीचे कम से कम 5.5 मीटर का अन्तराल रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रखरखाव न्यूनतम रहे। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार वृक्षों का पातन/शाखा छाटायी किया जायेगा।
- (III) पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में वृक्षों एवं लाईन के बीच पर्याप्त दुरी होने पर वृक्षों का पातन किसी भी हाल में नहीं किया जायेगा।
- वनसेत्र में कार्य करने वाले नजदुरों द्वारा किसी भी दशा में शिविर आदि नहीं जगाया जायेगा एवं मजदूर तथा कर्मवारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षों को हानि न पहुँचाये इसलिए उम्प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उम्प्र० पावर टान्समिशन कारपोरेशन लिंग) उन्हें ईंधन की लकड़ी तथा ईंधन सामारी उपलब्ध कराएगा।
- वनमूमि का उपयोग प्रस्ताव में पसायित प्रयोगन के अधिकारी किसी भी वर्ष वाले हेतु नहीं किया जायेगा।
- वनों एवं सीमा के सखरण एवं सखर्धन हेतु उम्प्र० सरकार द्वारा समय समय पर लगाई जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतिरिक्त संपादित ।

194.6.2023

मैत्रिमी अग्रिमना

विद्युत विभाग

३० प्र० पांच द्वारा बांदू लिंग

गोपेश्वर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-1
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Villages

मैत्रिमी अग्रिमनी
विद्युत विभाग
गोपेश्वर गोपेश्वर

10. यह लिखित परिचय (वर्तमान में ७०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�.) के अधीकारी, कर्मचारी अथवा उपकारी एवं उनके नियन्त्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी वन सम्पद को हानि नहीं पहुँचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पद कोई कठि पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर ७०५० रुपयोंपर (वर्तमान में ७०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�.) द्वारा देय होगा।
10. उक्त वन भूमि ७०५० रु० वि० परिषद (वर्तमान में ७०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�.) के उपयोग से लीज अधिक की गीतर तक वह वन की जड़ी वन वन १०५० वर्तमान में ७०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�.) को उसकी अवश्यकता सहगे, वह उक्त वन के किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उक्त कारपोरेशन लि�.) के लिए आवश्यक न रहे वन यिनाम ७०५० सरकार को यिनाम किसी प्रतिकर का भुगतान किये यापन प्राप्त हो जायेगी।
11. वन यिनाम के कर्मचारी / अधिकारी उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
12. यूकि ७०५० रु० वि० परिषद (वर्तमान में ७०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�.) द्वारा क्षतिपूरक पृष्ठारोपण हेतु १९९६ में प्राप्त वन भूमि को उपलब्ध कर दी गयी है अतः उनसे वन भूमि का मूला (प्रिमियम) नहीं लिया जायगा अतः वर्तमान वार्तार दर पर वनभूमि का मूल्य (प्रिमियम) जिलाधिकारी से नारून कराकर मूला को १० प्रतिशत बढ़ावा दीज रेंट वनभूमि दस्तान्तरण से पूरा किया जायेगा।
13. ७०५० रु० वि० परिषद (वर्तमान में ७०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�.) द्वारा वह वन एवं अन्य समान्य शर्तों को नियमित रूप से विलेख का जालेक प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय दस्तान्तरण से विभीतित कराया जायेगा। ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीकरण हेतु न्यून कर्णायसिंग घोषणा के शासनादेश तथा १९८/७ जी०८०८ ८९-३-८९, दिनांक १९.०६.१९८९ के अनुसार निर्धारित विधीकरण शुल्क विलेख विधीकरण से पूर्व लेखा शीर्षक '००७०-अन्य प्रशासनिक सेवाये ०१-नाम प्रशासन ५०१-सेवाये और सेवा फीस -०१- की गई सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही के अन्तर्गत दौजरी में जमा कर द्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

किन्तु सदा प्रतिक्रिया यह कि यह विलेख इस वार्ता के अन्तर्गत नहीं जारी किया जाएगा और जब कभी उपर्युक्त किसी अथवा उसके किसी नियमित भाग को नियमित रूप से प्रवेश कर सकता है तब वह विलेख जारी करना चाहिए वह विलेख को अथवा अधिकारी द्वारा भग करेंगा अथवा उसका पालन न करेंगा, तब और ऐसे किसी दशा में पट्टावादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड़ दिया हो उक्त वन भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टावादार तथा उसके समस्त अधिकारियों को वहाँ से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर दस्तान्तरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्ता हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित नियमों को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टावादार के समर्त अधिकार अपहृत हो जायेगे।

अधिकारी सत्यापिता

जूलाई २०२३
विवेक नारायण यादव
वनभूमि प्रबन्ध विभाग
७०५० पावर ट्रान्समिशन लि�.

U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Electrical Engineer
Electricity Transmission Division--
Varnasi
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varnasi

प्रभागीय अधिकारी
वनभूमि प्रबन्ध
वनभूमि विभाग

उक्त वनमूर्मि पर यह अधिकारी उसके बाहर आवश्यकता होगी जो उसको यह अधिकार देना है। इसके बाहर यह अधिकारी उसके बाहर आवश्यकता होगी जो उसको यह अधिकार देने की सूची बनाने ले।

इसी अधिकारी को किसी भी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी जो उसको यह अधिकार देना है। पट्टेदार को उक्त वनमूर्मि पर उस समय निश्चित किसी निमांण को इटाने की एक गाड़ी की विधियाँ उपलब्ध होने पर जो नास के भीतर पट्टदाता उक्त वनमूर्मि पर अपना आविष्यक प्राप्त कर ले किम् खला छाँह तो पट्टेदार को उस निमांण के बदले में ऐसी घनराशि का भुगतान कर दिया जायगा जो राज्य सरकार के बन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/संयिव द्वारा अन्वारित की जाये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी समस्त कर दर तथा अन्य परिवर्यों का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तरित वनमूर्मि के सम्बन्ध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगे।

॥— और इस विलेख के दोनों पक्ष करार करते हैं कि:-

(क) — उक्त वनमूर्मि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनमूर्मि बनी रहेगी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) — इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या उसके विषय पर यहि कोई भी विवाद गतगंद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों से या उसके किसी दावेदारों के नीत कभी उठ लिया जाये तो उस पर उक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/संयिव बन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रामाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।

(ग) — पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समरत घनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/संयिव बन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रामाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर वनमूर्मि को उक्त वनमूर्मि के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।

(घ) — इस विलेख के सम्बन्ध में देय रटाप चुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायगा।

(ङ) — पट्टेदार को उक्त वनमूर्मि किसी अन्य को उस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(ज) — इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टादाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगी से असंगत न हो पट्टादाता की दशा में उसके पद के उत्तराधिकारियों नथा पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारियों का अन्तर्भाव निहित है।

(झ) — उक्त वनमूर्मि पर या उसके नीचे पाये गये स्थान एवं स्थानियों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

अधिकारी संग्रहित ।

25.6.2013

पट्टादाता
संसद राज्य प्राप्ति
राज्य विभाग
भू-राजस्व

पट्टादाता
संसद राज्य प्राप्ति
राज्य विभाग
भू-राजस्व

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
B.R. Power Transmission Corporation Ltd
Vizianagaram

बाजारी

गूमि का विवरण

स्थाप/वन संस्थान का नाम	खसरा/कम्पार्टमेंट नंबर	लोत्रफल (हेक्टेक)
प्रभाग ओवरा	2.3	
		19.968

इस विलेख के साह्य मे श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री (मुख्य अरण्यपाल) मुख्य वन संस्थानक जनपद..... ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री सतीश कुमार सिंह ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे पदनाम दिया हुआ है।

हस्ताक्षर

प्रभागीय संस्थानपक्षकारी
ओवरा वन प्रभाग
ओवरा जनपद

हस्ताक्षर

Executive Engineer
(राज्यपाल) on Divisional
Electrical (विद्युत) प्रभाग
H.P. अधिकारी विभाग विभाग
विद्युत प्रभाग विभाग कर्माणसी
उम्पोपाठी 10 लिंग शक्ति भवन 14-अशोक
गार्ड लखनऊ

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की
ओर से एव उनके द्वारा अधिकृत

पट्टेदार की ओर से एव उनके द्वारा
अधिकृत

साक्षीगण

1-

पता-

2-

प्रतिलिपि संलग्नित
24.6.2023

अधिकारी अधिक
विद्युत प्रभाग स्थान
३० फ० व० ट्र० क०० फ००
गल्हापुर

